

कार्यालय नगर परिषद नारायणगढ़

जिला मन्दसौर (मोप्र०)

PH- 07424- 244639, Fax No- 07424-244919 and Email- cmonarayangarh@mpurban.gov.in

क्रमांक:- 1625/2020

दिनांक:- 21-09-2020

प्रति,

✓ संयुक्त संचालक महोदय,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
उज्जैन संभाग उज्जैन

विषय:- नगर परिषद नारायणगढ़ के वित्त वर्ष 2019-20 की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत् ।

संदर्भ:- श्रीमान् का पत्र क्रमांक लेखा/सी.ए.ऑडिट/2020/2357 उज्जैन दिनांक 17/06/2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि श्रीमान् के पत्रानुसार नगर परिषद नारायणगढ़ के लेखाओं का परीक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त निर्देशों की पालना में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री पितलिया एंड कम्पनी पिपलियामंडी द्वारा निकाय के वर्ष 2019-20 के लेखाओं का परीक्षण किया गया है प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण किया जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट से निराकरण करने पश्चात् आडिट रिपोर्ट पत्र के संलग्न मूल प्रति में दो सेट में विशेष वाहक के हस्ते प्रेषित।

संलग्न:- अंकेक्षण प्रतिवेदन मूल प्रति 2 सेट ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प्र.)

नगर परिषद
नारायणगढ़,
जिला:- मंदसौर (म.प्र.)

ऑडिट रिपोर्ट - **2019-20**

ऑडिटर

पितलिया एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

प्रधान कार्यालय : **304**, पावापुरी भवन, एम. जी. रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई-**66**

शाखा कार्यालय: **05**, रतन निवास, गांधीनगर, पिपलियामंडी, मन्दसौर, (म.प्र.)

+91 9022854334, 9867242087 abhishekpitlia@gmail.com

नगर परिषद, नारायणगढ़

ऑडिट रिपोर्ट 2019-20

क्र. सं.	विवरण	ऑडिटर का अवलोकन
I.	<u>राजस्व का ऑडिट</u>	
II.	ऑडिटर विभिन्न स्रोतों से राजस्व की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर नेनगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (राजस्व से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा कीहै, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गएहै:
III.	ऑडिटरप्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तकों के काउंटर फाइलों से मिलान करने के लिए जिम्मेदार है और प्राप्तराजस्व विधिवत संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाता है उसकी की भी जाँच करें।	ऑडिटर ने प्राप्त राजस्वको रसीद पुस्तकों के काउंटर फाइलों और बैंक खातों से जाँच कि है और पाया कि नगर परिषद ने नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति संबंधित बैंक खाते में समय पर जमा किया है।
IV.	प्राप्त राजस्व कार्यकारी दिनों से ज्यादा देरी होतो, आयुक्त/सीएमओ के नोटिस में तुरंत लाया जाएगा।	ऑडिटके दौरानइस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।
V.	ऑडिटर द्वारा कैश बुक कीप्रविष्टियों सत्यापित किया जाएगा।	ऑडिटर ने कैश बुक कीप्रविष्टियों कीजाँचकि है जो विधिवत पाई गयी है।
	ऑडिटर की रिपोर्ट में त्रैमासिक और मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व वसूली का विशेष रूप से उल्लेख होगा।	ऑडिटर ने लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व वसूली का लेखा परीक्षा किया है, इस सम्बन्ध में निष्कर्षके लिए अनुसूची-1 देखें।

मुख्य नगर धानको अधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प.)



	ऑडिटर रिपोर्ट का एक हिस्सा होगी।	
VI	ऑडिटर एफ.डी. ब्याजआय की जाँच करेगा और ब्याज आय विधिवत और समय पर रोकड़ बही में प्रविष्ट किहेउसकी जाँचभी करें।	ऑडिटर नेकैश बुक कीप्रविष्टियों कीजाँचकि है और ब्याज आय विधिवत और समय परप्रविष्टपाई गयी है।
VII	यदिनिवेश कम ब्याज दरों पर किया होतो मामलों को आयुक्त /सी. एम. ओ.के नोटिस में तुरंत लाया जाएगा।	ऑडिटके दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।

2	<u>खर्चों का ऑडिट:</u>	
I	ऑडिटर सभी योजनाओं के अंतर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए इस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:
II	ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों और वाउचर की जाँच करने के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर नेकैश बुक में व्यय सम्बंधित कीप्रविष्टियों एवं प्रासंगिक वाउचर कीजाँचकि है जो विधिवत पाई गयी है।
III	ऑडिटर मासिक रोकड़ बही की शेष राशि की जाँच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी है तो सुधार के लिए एकाउंटेंट को गाइडकरने लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटके दौरानपाया गया की नगर परिषद कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से (मासिक/ त्रेमासिक) नहीं करती है। यह मिलान वार्षिक आधार पर करतीहै। ऑडिट अवधी में भी दोनों शेष भिन्न पाए गए हैं अनुसूची -2 देखें। सुधार के लिए निर्देश देने कि सलाह दी जाती है।
IV	ऑडिटर जाँच करेगा की विशेष योजना के लिए	ऑडिटके दौरान इस प्रकार का कोई मामला


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर परिषद, नारायणगढ़
 जिला मन्दसौर (म.प्र.)



	<p>आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय करने के लिए सीमित है, यदि निश्चित सीमा से अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त / सी.एम.ओ.की सूचना में लाया जाएगा।</p>	<p>सामने नहीं आया है जो आयुक्त / सी.एम.ओ.की सूचना में लाया जाए।</p>
V	<p>ऑडिटर जाँच करेगा, कि व्यय दिशानिर्देश एवं सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियमों और नियमों के अनुसार है।</p>	<p>ऑडिटर ने नगर परिषदप्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बन्धित) का लेखा परीक्षा कि है और पाया कि नगर परिषद नेजो भी खर्च किये हे वो दिशा निर्देश एवं नियमों के अनुसार है।</p> <p>A) निचे दी गई पार्टियों के सम्बन्ध में TDS वर्ष २०१९-२० हेतु नहीं काटा गया विवरण इस प्रकार है अनुसूची -३ देखें</p>
VI	<p>ऑडिटर वित्तीय संपत्ति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा, किसभी खर्च वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबंध किये गए हे अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये है।</p>	<p>ऑडिटर ने पाया कि नगर परिषद नेजो भी खर्च किये हे वो वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबंध (सैंक्षण) किये गए हे, सीमा में खर्च किये है।</p>
VII	<p>वे सभी मामले जिनमे उचित प्रतिबंध (सैंक्षण) नहीं ली गयी हे ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटरगत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो आयुक्त / सी.एम.ओ.की सूचना में लाया</p>	<p>ऑडिटके दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है जो आयुक्त / सी.एम.ओ.की सूचना में लाया जाए।</p>

मुख्य नवर फार्म्स अधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ
जिला मन्दसौर (म.प्र.)



	जाएगा।	
VIII	ऑडिटर योजना और परियोजनाके अनुसारउपयोगिता प्रमाण पत्र(यु. सी.) का सत्यापन करेगा, यहउपयोगिता प्रमाण पत्रआय, व्यय एवं स्थायी संपत्तिकेनिर्माण से मिलान होना चाहिए।	नगर परिषद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु. सी.) वर्ष 2019-20 के लिएबनाया गया ! इस प्रकार संपत्ति के निर्माण कार्य प्रचलित है उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु. सी.) नहीं बनाया गया

3.	बुक कीपिंग का ऑडिटः	
I	ऑडिटर लेखा खातों की जाँच के लिए जिम्मेदार है, लेखा खातों अच्छी तरह से स्टोर हैकी नहीं उसकी भी सूचना करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा खातों की परीक्षा कि है,इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गएहै:
II	ऑडिटर जाँच एवंसूचना के लिए जिम्मेदार हैकी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते को लेखा नियमों के अनुसार लागू बनाए है और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए है।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए खातोंजाँच कि हैऔर पाया की नगर परिषद नेखातेको लेखा नियमों के अनुसार बनाए है। अनुसूची - 4 देखें
III	ऑडिटर अग्रिम रजिस्टर की जाँच करेंऔर यह रिपोर्ट करेकी सभी अग्रिमों की पुनर्प्राप्त शर्तों के अनुसार समय हो रहीहैं। गैर-वसूली के सभी मामलोंका विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।	ऑडिटके दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया हैजो आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाए।
IV	बैंक सुलहस्टेटमेंट (बी. आर. एस.) कामिलाननगर पारिषद (यु. एल. बी.) के	ऑडिटके दौरान पाया गया की नगर परिषद कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ
जिला मनसौर (म. प्र.)



	<p>रिकाइर्स और संबंधित बैंक के रिकॉर्ड से किया जायेगा।</p> <p>यदि नगर पारिषद बैंक सुलहस्टेटमेंट तैयार नहीं कर रहे हैं विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।</p>	(मासिक/ त्रिमासिक) नहीं करती है। यह मिलान वार्षिक आधार पर करती है। ऑडिट अवधी में भी दोनों शेष भिन्न पाए गए हैं अनुसूची -2 देखें। उसके बाद, लेखा अधिकारी द्वारा सभी कॅश बुक को शामिल करने के बाद बैंक सुलह स्टेटमेंट मिलान पाया गया अनुसूची -2 देखें।
V	<p>ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>अनुदान सम्बंधित प्राप्तिया और भुगतान का मिलान रोकड़ बही की प्रविष्टियों से किया जाएगा।</p>	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान रजिस्टर और रोकड़ बही की प्रविष्टियों जाँच कि हैं और लेखा नियमों अनुरूप पाया है।
VI	<p>ऑडिटर स्थायी संपत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>यदि स्थायी संपत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उचित अवस्था में नहीं पाए या कुछ खामिया हो तो तुरंत आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाएगा।</p>	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थायी संपत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की जाँच कि हैं और लेखा नियमों अनुरूप पाया है।
VII	<p>ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना, निधि के भुगतान और प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।</p>	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए परियोजना निधि सम्बंधित दस्तावेज की जाँच कि हैं और नियमों अनुरूप पाया है।

५
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
ग्र. परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प्र.)



4.	स्थायी जमा (एफ.डी.) का ऑडिटः	
I	ऑडिटर सभी स्थायी जमा (एफ.डी.) एवं टर्म जमा का ऑडिट करने लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी स्थायी जमा (एफ.डी.) एवं टर्म जमा की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:
II	ऑडिटर यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी जमा (एफ.डी.) एवं टर्म जमाका समुचित रिकॉर्ड रखा जाता है और सभी स्थायी जमा (एफ.डी.) एवं टर्म जमा का नवीकरण समय पर कर रहे हैं।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी स्थायी जमा (एफ.डी.) एवं टर्म जमा की परीक्षा कि है, नगर परिषद द्वारा स्थायी जमा (एफ.डी.) एवं टर्म जमा का नवीकरण समय पर किया जा रहा है।
III	यदि नगर परिषद ने एफ.डी. एवं टर्म जमाप्रचलित दर से कम ब्याज दरों पर निवेश किया हैं तो ऐसे मामलों को तुरंत आयुक्त / सी. एम. ओ.की एम. ओ.की सूचना में लाया जाएगा।	ऑडिटके दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है जो आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाए।
IV	ऑडिटर द्वारा एफ.डी. एवं टर्म जमापर अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियोंको बही खाता में सत्यापित किया जायेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही की प्रविष्टियों जाँच कि है पाया की नगर परिषद ने अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियाँ को लेखा नियमों के अनुरूप सालाना प्रविष्टकिया है।

5.	निविदाएं/बोलियोंका ऑडिटः	
I	ऑडिटर सभी निविदाएं/बोली जो नगर परिषद	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा

मुख्य नगर परिषद प्राधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म.प्र.)



	द्वारा आमंत्रित की गयी थीकी जाँच करने लिए जिम्मेदार है।	उपलब्ध कराए गए सभी निविदाएं/बोली सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:
II	ऑडिटर जाँच करेगा कि नगर परिषद द्वारा प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियों के लिए अपनाई गयी हैं।	इस सम्बन्ध में ऑडिटर का यह निष्कर्ष है कि नगर पालिका ने निविदा प्रक्रिया का पालन तो किया हे परन्तु कुछ खामिया भी पाई गयी हैं: अनुसूची -5 देखें.
III	ऑडिटर निर्माण या रखरखाव सम्बंधित कार्य की निविदा शुल्क/बोली प्रोसेसिंग शुल्क / परफॉर्मेंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सम्बंधित दस्तावेज (निविदा शुल्क/बोली प्रोसेसिंग शुल्क / परफॉर्मेंस गारंटी की रसीद) की जाँच कि है और नियमों अनुरूप पाया है।
IV	यदिनगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्कतथा परफॉर्मेंस गारंटी के स्थान पर बैंक गारंटीस्वीकार की है तो उसका भी सत्यापन किया जायेगा।	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
V	यदिनगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध बैंक गारंटीस्वीकार की हेतो बैंक गारंटी की शर्तेभी सत्यापित करें, यदि शर्ते नगर परिषद के हित के विरुद्ध हैं तो तुरंतआयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।



	जाएगा।	
VI	यदिनगर परिषद द्वारा स्वीकार की गई बैंक गारंटीके विस्तार के सम्बन्धित मामलों आयुक्त/सीएमओकी सूचना में लाया जाएगातथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
VII	ऑडिटर द्वारा अनुबंध बंद सत्यापित किये जाएंगे।	अनुबंध बंद की जाँच की और संतोषजनक पाया।

6	अनुदान और ऋणका ऑडिट:	
I	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋणएवंसरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसकेउपयोगकी जाँचके लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणएवंसरकारी अनुदान सम्बन्धित दस्तावेज की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए हैः
II	ऑडिटर राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसकेउपयोग की जाँचके लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य सरकार अनुदान और उसके उपयोग सम्बन्धित दस्तावेज की परीक्षा कि है।
III	ऑडिटरनगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण (जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिया था) और उसकेउपयोग की जाँचके लिए जिम्मेदार है।	नगर परिषद द्वारा ऑडिट की अवधी में किसी भी प्रकार का लोन नहीं लिया है।
IV	ऑडिटरऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिप्पणी करेगा, ऑडिटर यह रिपोर्टकरेगा की ऋणजो संपत्ति ऋण लेकर बनायीं गयी है, उससे वांछित राजस्व उत्पन्न हो	नगर परिषद द्वारा लोन नहीं लिया गया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प्र.)



	भी रही हे या नहीं।	
V	ऑडिटर गैर -राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिप्पणी करेगा।	ऑडिट के दौरान पाया गया हे की, फायर ब्रिगेड सम्बंधित लोग बुक में नगर परिषद द्वारा निरन्तर रूप से प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही हे, लोग बुक की प्रविष्टियाँ संतोष जनक नहीं पाई गयी है अनुसूची -4 देखें
VI	ऑडिटर विशेष रूप से इंगित करेगा की नगर परिषद ने पूंजीगत प्राप्ति यों /अनुदान/ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चों में तो नहीं किया है।	ऐसे कोई विशिष्ट विचलन नहीं पाया गया है।

वर्ष २०१९-२० के सम्बन्ध में आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता अनुसूची क. ६ और ७ में सलग्र है

धन्यवाद



फॉर पितलिया एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीयन क्र. 016218 सी

Alomjeejee

सी. ए. अभिषेक पितलिया

पंजीयन क्र. 413249

UDIN: 20413249AAAAADD1814



दिनांक: 20-08-2020

स्थान: पिपलिया मंडी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
ग्र. परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प.)

lt's

अनुसूचीक्र.1

A) राजस्व लक्ष्य और वसूली का विवरण:

क्रमांक	मद का नाम	बजट 2019-20	वास्तविक आय वर्ष 2019-2020	वास्तविक %
1	सम्पत्ति कर चालू	600000	343678	57.28%
2	सम्पत्ति कर बकाया	650000	309617	47.63%
3	समेकित कर चालू	325000	202332	62.26%
4	समेकित कर बकाया	450000	243840	54.19%
5	विकास उपकर चालू	165000	97656	59.19%
6	विकास उपकर बकाया	165000	88544	53.66%
7	शिक्षा उपकर चालू	170000	99301	58.41%
8	शिक्षा उपकर बकाया	198000	91054	45.99%
9	जलकर चालू	1056000	604050	57.20%
10	जलकर बकाया	548000	448270	81.80%
11	दुकान किराया चालू	75000	130731	174.31%
12	दुकान किराया बकाया	35000	26568	75.91%

B) वास्तविक राजस्व और वास्तविक वसूली का विवरण 2018-19 एवं 2019-20 और ग्रोथ

क्रमांक	मद का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2018-2019	वास्तविक आय वर्ष 2019-2020	Growth	Growth%
1	सम्पत्ति कर चालू	254100	343678	89578	35.25%
2	सम्पत्ति कर बकाया	205691	309617	103926	50.53%

Page | 11

५
मुख्य अधिकारी अधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प.)



3	समेकित कर चालू	120960	202332	81372	67.27%
4	समेकित कर बकाया	144410	243840	99430	68.85%
5	विकास उपकर चालू	74271	97656	23385	31.49%
6	विकास उपकर बकाया	60990	88544	27554	45.18%
7	शिक्षा उपकर चालू	74488	99301	24813	33.31%
8	शिक्षा उपकर बकाया	60332	91054	30722	50.92%
9	जलकर चालू	436560	604050	167490	38.37%
10	जलकर बकाया	182960	448270	265310	145.01%
11	दुकान किराया चालू	3666	130731	127065	3466.04%
12	दुकान किराया बकाया	37941	26568	-11373	-29.98%

अनुसूचीक्र. 2

बैंक बैलेंस एवं केश बुक बैलेंस मिलान सम्बंधित विवरण:

ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद द्वारा कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से (मासिक/ त्रिमासिक) नहीं किया जाता है। यह मिलान वार्षिक आधार पर करती है। | ऑडिट अवधी में दोनों शेष मिलान पाए गए हैं और उसका विवरण इस प्रकार है:

बैंक खातों की जानकारी दिनांक 31/03/2020 की स्थिति में।

बैंक का नाम	बैंक खाता	बैंक स्टेटमेंट अनुसार शेष राशि	केशबुक अनुसार शेष राशि	अंतर की राशि	अंतर का कारण
स्टेट बैंक मल्हारगढ़	53026370402	3511972.26	3511972.26	0.00	
कोटेक	7313032964	2049750.00	2049750.00	0.00	
आई.सी.आई.सी.आई बैंक	381301001683	2778586.00	2778586.00	0.00	
आई.सी.आई.सी.आई बैंक	381301001601	25348.00	25348.00	0.00	

45
 मुख्य नाम प्रतिक्रिया अधिकारी
 परिषद् नारायणगढ़
 जिला मन्दसौर (म. प.)



सेन्ट्रल बैंक	2245105807	1397203.8	1397203.8	0.00	
सेन्ट्रल बैंक	2245105818	4388349.70	4388349.70	0.00	
इलाहाबाद बैंक	50162714611	411529.00	411529.00	0.00	
योग		14562738.76	14562738.76	0.00	

अन्य केशबुक बैंक खातों की जानकारी दिनांक 31 / 03 / 2020 की स्थिति में ।

बैंक का नाम	बैंक खाता	बैंक स्टेटमेंट अनुसार शेष राशि	केशबुक अनुसार शेष राशि	अंतर की राशि	अंतर का कारण
सेन्ट्रल बैंक ऑ इंडिया नारायणगढ़	3364976408	1318937.69	1318937.69	0.00	
इलाहाबाद बैंक मल्हारगढ़	50356719697	102425.00	102425.00	0.00	
एच.डी.एफ.सी. बैंक मन्दसौर	50100328873985	19400000.00	19400000.00	0.00	
सेन्ट्रल बैंक ऑ इंडिया नारायणगढ़	3326938377	2863.00	2863.00	0.00	
योग		20824225.69	20824225.69	0.00	

निकाय एफ.डी.आर. बैंक खातों की जानकारी

बैंक का नाम	बैंक खाता	राशि	परिपक्वता राशि	एफ.डी.आर. दिनांक	परिपक्वता दिनांक
सेन्ट्रल बैंक ऑ इंडिया, शाखा नारायणगढ़ ब्याज दर 6.60 प्रतिशत	3342166761	267489.00	291367.00	20.05.2019	20.05.2020
	3271397925	444802.00	470433.00	29.07.2019	29.07.2020
	3454874823	1040499.00	1082798.00	08.05.2019	08.05.2020
	3131584858	838137.00	889115.00	19.01.2019	19.01.2020
	3721054888	565250.00	603490.00	21.01.2019	21.01.2020
स्टेट बैंक मल्हारगढ़, ब्याज दर 6.80 प्रतिशत	38207590436	64721.00	69236.00	23.01.2019	23.01.2020
योग		3220898.00	3406439.00	0.00	

अनुसूचीक्र. 3

मुख्य नमूने प्रतिका अधिकारी !
एग्र परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प्र.)



A) निचे दी गई पार्टियों के सम्बन्ध में TDS वर्ष २०१९-२० हेतु नहीं काटा गया विवरण इस प्रकार है

Sr. No	Date	Party Name	Work	Amount	TDS Rate	TDS Amount Not Deducted
1	22.07.2019	GunGun Enter	Vehical Hireing	75600	2%	1512
2	22.07.2019	Pappu Generator	Generator Charges	42000	2%	840
3	29.08.2019	GunGun Enter	Vehical Hireing	31500	2%	630
4	17.09.2019	GunGun Enter	Vehical Hireing	47900	2%	958
5	17.09.2019	GunGun Enter	Vehical Hireing	22000	2%	440
6	17.09.2019	GunGun Enter	Vehical Hireing	14000	2%	280
7	11.10.2019	GunGun Enter	Vehical Hireing	70500	2%	1410
8	11.10.2019	GunGun Enter	Vehical Hireing	56500	2%	1130
9	11.10.2019	GunGun Enter	Vehical Hireing	57400	2%	1148
10	24.10.2019	Prakash Chandra Malawa Tent	Tent Hireing	98000	2%	1960
		Total		515400		10308

अनुसूचीक्र. 4

फायर ब्रिगेड सम्बंधित विवरण:

ऑडिट के दौरान पाया गया है कि, फायर ब्रिगेड सम्बंधित लोग बुक में नगर परिषद द्वारा निरन्तर रूप से प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है, लोग बुक की प्रविष्टियाँ संतोष जनक नहीं पाई गयी हैं। ऑडिटर एक और महत्वपूर्ण तथ्य रोशनी डालना चाहते हैं, नियम के अनुसार यदि फायर ब्रिगेड नगर परिषद सीमा के बहार बुलाई जाती है तो सम्बंधित नगर परिषद या ग्राम पंचायत जिसके सीमा क्षेत्र में फायर ब्रिगेड बुलाई गयी है, उससे शासन द्वारा निर्धारित शुल्क चार्ज किया जाना चाहिए, नगर परिषद द्वारा इस प्रकार के कोई शुल्क अभी तक वसूला नहीं गया है, प्रबंधन को इस तथ्य के सम्बन्ध में नगर परिषद से चर्चा करना चाहिए और सुधर के लिए तुरंत उचित आदेश देने की सलाह दी जाती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ़
जिला मनसौर (म. प्र.)



अनुसूचीक्र. ५

निविदाएं/ बोलियों सम्बंधित विवरण

ऑडिटरने नगर परिषद द्वारा निमंत्रित निविदा सम्बंधित दस्तवेज की जाँच की और पाया कि नगर परिषद ने नियम के अनुसार निविदा प्रक्रिया का पालन किया है, परन्तु ऑडिटर ने कुछ अनियमितता कि खोज है, कुछ कंस्ट्रक्शन ठेके निश्चित कार्य अवधि (कार्य आदेश में इंगित समय के भीतर) में पूर्ण नहीं हुए हैं तथा नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार का समय विस्तार भी नहीं प्रदान किया है। परिषद्वा दूर्वरा कार्य अवधि बढ़ाये जाने का प्रावधान प्रचलित है।

अनुसूची क्र. ६

प्राप्ति एवं भुगतान खाता वर्ष २०१९-२०


वर्ष 2019– 2020 की प्राप्ति		वर्ष 2019– 2020 की भुगतान	
मद का नाम	राशि	मद का नाम	राशि
प्रारंभिक शेष	44606792.96		
(1) सम्पत्ति कर चालु	343678	(1) पदाधिकारियों का मानदेय	247120
(2) सम्पत्ति कर बकाया	309617	(2) वेतन सामान्य प्रशासन	2380025
(3) समेकित कर चालु	202332	(3) वेतन राजस्व शाखा	651886
(4) समेकित कर बकाया	243840	(4) वेतन स्वच्छता शाखा	2171727
(5) पानी बिक्री से आय	27000	(5) वेतन लोक निर्माण विभाग	422894
(6) आडिट आपत्ति राशि जमा	0.	(6) जी.पी.एफ. कटोत्रा	397185
(7) शिक्षा उपकर चालु	99301	(7) परिभाषित पेंशन	1183360
(8) शिक्षा उपकर बकाया	91054	(8) आकस्मिक/ एरियर 7 पैं	256898

Page | 15

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ
जिला मन्दसौर (म. प्र.)



(9) विकास उपकर चालु	97656	(9) यात्रा भत्ता व्यय	13605
(10) विकास उपकर बकाया	88544	(10) अवकाश नगदीकरण पर व्यय	0
(11) दुकान किराया चालु	130731	(11) आकस्मिक वेतन कम्प्युटर चालक + योजना शाखा	432950
(12) दुकान किराया बकाया	26568	(12) सड़क सफाई आकस्मिकता मस्टर भुगतान	1369426
(13) जलकर बकाया	448270	(13) जलप्रदाय आकस्मिकता श्रमिक व्यय	1025182
(14) जलकर चालू	604050	(14) आकस्मिक सामुदायिक संगठक	157500
(15) अधिभार शुल्क	193025	(15) हुड्कों लोन पुर्णभुगतान त्रिमाही	1451658
(16) नल संयोजन शुल्क	17200	(16) स्टेशनरी व्यय	144390
(17) रोड कटिंग/खुदाई	29150	(17) वेल्डिंग संधारण कार्य	25550
(18) नल कनेक्शन दुरुस्ती/कनेक्शन ट्रांसफर/जमा शुल्क	2850	(18) जलप्रदाय विघुत लाईन विस्तार	0
(19) आवेदन शुल्क	8060	(19) विघुत प्रवाह स्ट्रीट लाईट बिलों का व्यय	2274139
(20) बाजार बैठक	35405	(20) प्रकाश व्यवस्था नवीन स्ट्रीट लाईट पोल	438998
(21) प्रमाण पत्र शुल्क	30034	(21) चिकित्सा देयक प्रतिपूर्ति	0
(22) मांगलिक भवन किराया	38000	(22) माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	0
(23) खाघ लाइसेंस बकाया	0	(23) विघुत सामग्री क्रय	377984
(24) राशन कार्ड शुल्क	0	(24) अग्नीशमन कार्यार्थ व्यय	0
(25) नामांतरण शुल्क	1257600	(25) डीजल आईल क्रय	323107
(26) प्रकाशन शुल्क	0	(26) ड्रेक्टर टैंकर संधारण कार्य पर व्यय	78903



 मुख्य प्रशासनीका अधिकारी
 नगर परिषद, नारायणगढ
 जिला मन्दसौर (राज.)



(27) मिलान शुल्क	0	(27) आकस्मिकता व्यय विविध	0
(28) भवन निर्माण शुल्क	118813	(28) विघुत मोटर संधारण कार्य	125680
(29) विलम्ब शुल्क	3500	(29) विघुत पम्प मोटर क्रय व्यय	0
(30) टेंडर फार्म शुल्क	232000	(30) कुँआ तालाब नलकुप खनन व्यय	0
(31) गंदापानी निलामी से आय	0	(31) जलप्रदाय सामग्री क्रय	307507
(32) प्रतिलिपि शुल्क	1710	(32) सार्वजनिक शौचालय का निर्माण व्यय	0
(33) ताखाबावजी मेला	42600	(33) ब्लीचिंग / फिटकरी / फिनाईल / एलम क्रय पर व्यय	145133
(34) विविध आय	1593772	(34) किटनाशक औषधी उपकरण क्रय	195508
(35) भू फाटक बकाया	0	(35) मॉगलिक भवन निर्माण कार्य पर व्यय	118372
(36) भू फाटक चालु	0	(36) कांजी हाउस निर्माण मरम्मत कार्य	0
(37) अस्थाई दखल उपविधि शुल्क	0	(37) वृक्षवर्धन / पौधारोपण	2700
(38) नवीन नल कनेक्शन शुल्क	5700	(38) ओँगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य व्यय	1653098
(39) हड्डी चमड़ा शुल्क	0	(39) दुकाने निर्माण कार्य पर व्यय	0
(40) समझौता शुल्क	0	(40) चौराहों का विकास सौदर्यीकरण कार्य पर व्यय	125024
(41) विवाह पंजीयन शुल्क	2000	(41) कार्यालय भवन निर्माण मरम्मत पर व्यय	0
(42) मछली पालन शुल्क	0	(42) सड़क डामरीकरण पर व्यय	600797
(43) चुंगी क्षतिपूर्ति	13369034	(43) सीसी रोड निर्माण पर व्यय	11036013
(44) यात्री कर	545000	(44) नाला / नाली / बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य	4679495
(45) सड़क मरम्मत अनुदान	580000	(45) फर्शिकरण कार्य पर व्यय	0

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
भगर परिषद, नारायणगढ
जिला मन्दसौर (म.प्र.)



(46) राज्य वित्त आयोग	1878000	(46) मरम्मत नवीनीकरण कार्य पर व्यय	0
(47) मुलभूत अनुदान	2399000	(47) निर्माण सामग्री क्रय पर व्यय	119435
(48) विशेष निधि अनुदान	0	(48) पुस्तकालय/वाचनालय पर व्यय	0
(49) चौदहवाँ वित्त आयोग अनुदान	6344000	(49) वाहन बीमा कटोत्रा व्यय	34783
(50) प्रधानमंत्री आवास योजना	27160000	(50) फायर वाहन क्रय/चैचीस निर्माण पर व्यय	95000
(51) मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना द्वितीय चरण	16000000	(51) विज्ञापन/विज्ञप्ति/एलान कार्य	131208
(52) मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन उपकरण	530000	(52) अनाउंसमेंट पर व्यय	9800
(53) मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता अंशदान	0	(53) स्वागत सत्कार व्यय	9180
(54) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल	0	(54) सार्वजनिक ताखाबावजी मेला	346169
(55) नजुल लगान	0	(55) विविध व्यय	326301.12
(56) मुद्रांक शुल्क	129000	(56) प्रशिक्षण पर व्यय	0
(57) फायर वाहन अनुदान	0	(57) फर्नीचर कार्य पर व्यय	83158
(58) विधायक स्वेच्छानुदान	200000	(58) कम्प्युटर/प्रिंटर मरम्मत पर व्यय	89908
(59) सांसद निधि	0	(59) निर्वाचन कार्य पर व्यय	58760
(60) पी.ओ.डुडा मंदसौर से प्राप्त अनुदान	0	(60) कचरा वाहन पर व्यय	602000
(61) फिल्टर प्लांट	0	(61) अनाज अग्रीम ऋण वापसी	0
(62) भूखंड निलामी से आय	0	(62) अमानतें वापसी व्यय	169000
(63) सीएम जनकल्याण संबल योजना अन्त्येष्टि सहायता	0	(63) एस.डी. वापसी	176557
(64) सीएम जनकल्याण संबल योजना अनुग्रह सहायता	1400000	(64) आडिट फीस जमा बाबत	0

मुख्य निधि पालिका अधिकारी
परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म.प्र.)



(65) हुड्को लोन	0	(65) श्रम कल्याण निधि व्यय	0
(66) दण्ड शुल्क	0	(66) रायल्टी कटोत्रा	180351
(67) न.प. राशि ब्याज से आय	1303338	(67) आयकर कटोत्रा	238028.87
(68) संचित निधि	0	(68) वेटकर वाणिज्यकर कटोत्रा	0
(69) GST	17121	(69) श्रम कल्याण निधि कटोत्रा	237646.87
(70) GST TDS	461148.5	(70) वृत्ति कर कटोत्रा	0
(71) IT	10058	(71) शिक्षा उपकर व्यय	98600
(72) LWT	10053	(72) पर्यावरण सुधार कार्यक्रम पर व्यय	0
(73) ROYALTY	0	(73) टोरी दोह स्टाप डेम / मरम्मत कार्य	0
(74) SD	1267819	(74) मुरमीकरण कार्याधी व्यय	115700
(75) अमानत राशि	229200	(75) हरिजन बस्ती विकास	0
(76) मढ़ पम्प से आय	18500	(76) चौदहवाँ वित्त आयोग	15000
(77) ऑगनवाड़ी भवन निर्माण	0	(77) पेयजल परिवहन / जनरेटर किराया	52500
-		(78) विधायक निधि व्यय	0
-		(79) सांसद निधि व्यय	15267
-		(80) जल वाहित शौचालय निर्माण पर व्यय	0
-		(81) रैतम बेराज पेयजल आरक्षण	159500
-		(82) जैसीबी किराया पर व्यय	856013
-		(83) पेयजल आवर्धन योजना अंतर्गत	0

Page | 19



 मुख्य नाम परिलिका अधिकारी
 परिषद्, नारायणगढ़
 जिला मन्दसौर (म. र.)



-		(84) टेलीफोन ट्रंक कॉल व्यय	48750
-		(85) अभिभाषक मानदेय पर व्यय	153845
-		(86) डाक टिकिट क्य पर व्यय	0
-		(87) जनगणना कार्यार्थ व्यय	0
-		(88) कर्मचारियों की वर्दी क्य पर व्यय	5605
-		(89) संचित निधि	0
-		(90) मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना द्वितीय चरण	7277759.62
-		(91) हुड़कों से प्राप्त लोन हेतु राशि जमा बाबत्	0
-		(92) मंदिर जीर्णोद्धार	105726
-		(93) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्राप्त राशि	36300000
-		(94) सीएम जनकल्याण संबल योजना अन्त्येष्ठि सहायता	0
-		(95) सीएम जनकल्याण संबल योजना अनुग्रह सहायता	1600000
-		(96) स्वच्छ भारत मिशन	2340831
-		(97) राष्ट्रीय पर्व	54608
-		(98) जीएसटी/ जीएसटीडीएस	469118
-		(99) विनियमितीकरण कर्मचारिं वेतन	1825630
-		(100) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	1179608
		अंतिम शेष	34386964
कुल योग	124782124.5	कुल योग	124782124.5

Page | 20


 मुख्यमंत्री पाटिलका अधिकारी
 परिषद, नारायणगढ
जिला मन्दसौर (म.प्र.)



अनुसूची क्र.7

आय एवं व्यय खाता 2019-20

वर्ष 2019— 2020 की आय		वर्ष 2019— 2020 की व्यय	
मद का नाम	राशि	मद का नाम	राशि
(1) सम्पत्ति कर चालु	343678	(1) पदाधिकारियों का मानदेय	247120
(2) सम्पत्ति कर बकाया	309617	(2) वेतन सामान्य प्रशासन	2380025
(3) समेकित कर चालु	202332	(3) वेतन राजस्व शाखा	651886
(4) समेकित कर बकाया	243840	(4) वेतन स्वच्छता शाखा	2171727
(5) पानी बिकी से आय	27000	(5) वेतन लोक निर्माण विभाग	422894
(6) आडिट आपत्ति राशि जमा	0	(6) जी.पी.एफ. कटोत्रा	397185
(7) शिक्षा उपकर चालु	99301	(7) परिभाषित पेंशन	1183360
(8) शिक्षा उपकर बकाया	91054	(8) आकस्मिक / एरियर 7 पे	256898
(9) विकास उपकर चालु	97656	(9) यात्रा भत्ता व्यय	13605
(10) विकास उपकर बकाया	88544	(10) अवकाश नगदीकरण पर व्यय	0
(11) दुकान किराया चालु	130731	(11) आकस्मिक वेतन कम्प्युटर चालक + योजना शाखा	432950
(12) दुकान किराया बकाया	26568	(12) सड़क सफाई आकस्मिकता मर्स्टर	1369426

Page | 21

मुख्य नमू अधिकारी
परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प.)



		भुगतान	
(13) जलकर बकाया	448270	(13) जलप्रदाय आकस्मिकता श्रमिक व्यय	1025182
(14) जलकर चालू	604050	(14) आकस्मिक सामुदायिक संगठक	157500
(15) अधिभार शुल्क	193025	(15) हुड्कों लोन पुर्नभुगतान त्रिमाही	1451658
(16) नल संयोजन शुल्क	17200	(16) स्टेशनरी व्यय	144390
(17) रोड कटिंग/खुदाई	29150	(17) वेल्डिंग संधारण कार्य	25550
(18) नल कनेक्शन दुरुस्ती/कनेक्शन ट्रांसफर/जमा शुल्क	2850	(18) जलप्रदाय विघुत लाईन विस्तार	0
(19) आवेदन शुल्क	8060	(19) विघुत प्रवाह स्ट्रीट लाईट बिलों का व्यय	2274139
(20) बाजार बैठक	35405	(20) प्रकाश व्यवस्था नवीन स्ट्रीट लाईट पोल	438998
(21) प्रमाण पत्र शुल्क	30034	(21) चिकित्सा देयक प्रतिपूर्ति	0
(22) मांगलिक भवन किराया	38000	(22) माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	0
(23) खाघ लाइसेंस बकाया	0	(23) विघुत सामग्री क्य	377984
(24) राशन कार्ड शुल्क	0	(24) अग्नीशमन कार्यार्थ व्यय	0
(25) नामांतरण शुल्क	1257600	(25) डीजल आईल क्य	323107

lts

मुख्य अमेरिका अधिकारी
ग्रंथालय, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प.)



(26) प्रकाशन शुल्क	0	(26) ड्रेक्टर टैंकर संधारण कार्य पर व्यय	78903
(27) मिलान शुल्क	0	(27) आकस्मिकता व्यय विविध	0
(28) भवन निर्माण शुल्क	118813	(28) विघुत मोटर संधारण कार्य	125680
(29) विलम्ब शुल्क	3500	(29) विघुत पम्प मोटर क्रय व्यय	0
(30) टेंडर फार्म शुल्क	232000	(30) कुँआ तालाब नलकुप खनन व्यय	0
(31) गंदापानी निलामी से आय	0	(31) जलप्रदाय सामग्री क्रय	307507
(32) प्रतिलिपि शुल्क	1710	(32) सार्वजनिक शौचालय का निर्माण व्यय	0
(33) ताखाबावजी मेला	42600	(33) ब्लीचिंग / फिटकरी / फिनाईल / एलम क्रय पर व्यय	145133
(34) विविध आय	1593772	(34) किटनाशक औषधी उपकरण क्रय	195508
(35) भू फाटक बकाया	0	(35) मॉगलिक भवन निर्माण कार्य पर व्यय	118372
(36) भू फाटक चालु	0	(36) कांजी हाउस निर्माण मरम्मत कार्य	0
(37) अस्थाई दखल उपविधि शुल्क	0	(37) वृक्षवर्धन / पौधारोपण	2700
(38) नवीन नल कनेक्शन शुल्क	5700	(38) आँगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य व्यय	1653098
(39) हड्डी चमड़ा शुल्क	0	(39) दुकाने निर्माण कार्य पर व्यय	0

मुख्य अधिकारी विविध
परिषद, नारायणगढ
जिला मन्दसौर (म. प.)



(40) समझौता शुल्क	0	(40) चौराहों का विकास सौदर्यकरण कार्य पर व्यय	125024
(41) विवाह पंजीयन शुल्क	2000	(41) कार्यालय भवन निर्माण मरम्मत पर व्यय	0
(42) मछली पालन शुल्क	0	(42) सड़क डामरीकरण पर व्यय	600797
(43) चुंगी क्षतिपूर्ति	13369034	(43) सीसी रोड निर्माण पर व्यय	11036013
(44) यात्री कर	545000	(44) नाला/नाली/बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य	4679495
(45) सड़क मरम्मत अनुदान	580000	(45) फर्शिकरण कार्य पर व्यय	0
(46) राज्य वित्त आयोग	1878000	(46) मरम्मत नवीनीकरण कार्य पर व्यय	0
(47) मुलभूत अनुदान	2399000	(47) निर्माण सामग्री क्रय पर व्यय	119435
(48) विशेष निधि अनुदान	0	(48) पुस्तकालय/वाचनालय पर व्यय	0
(49) चौदहवाँ वित्त आयोग अनुदान	6344000	(49) वाहन बीमा कटोत्रा व्यय	34783
(50) प्रधानमंत्री आवास योजना	27160000	(50) फायर वाहन क्रय/चैचीस निर्माण पर व्यय	95000
(51) मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना द्वितीय चरण	16000000	(51) विज्ञापन/विज्ञप्ति/एलान कार्य	131208
(52) मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन उपकरण	530000	(52) अनाउंसमेंट पर व्यय	9800
(53) मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता	0	(53) स्वागत सत्कार व्यय	9180


 मुख्यमंत्री पालिका अधिकारी
 नगर परिषद, नारायणगढ़
 जिला मन्दसौर (म. प्र.)



अंशदान			
(54) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल	0	(54) सार्वजनिक ताखाबावजी मेला	346169
(55) नजुल लगान	0	(55) विविध व्यय	326301.12
(56) मुद्रांक शुल्क	129000	(56) प्रशिक्षण पर व्यय	0
(57) फायर वाहन अनुदान	0	(57) फर्निचर कार्य पर व्यय	83158
(58) विधायक स्वेच्छानुदान	200000	(58) कम्प्युटर / प्रिंटर मरम्मत पर व्यय	89908
(59) सांसद निधी	0	(59) निर्वाचन कार्य पर व्यय	58760
(60) पी.ओ.डुडा मंदसौर से प्राप्त अनुदान	0	(60) कचरा वाहन पर व्यय	602000
(61) फिल्टर प्लांट	0	(61) अनाज अग्रीम ऋण वापसी	0
(62) भूखंड निलामी से आय	0	(62) अमानतें वापसी व्यय	169000
(63) सीएम जनकल्याण संबल योजना अन्त्येष्ठि सहायता	0	(63) एस.डी. वापसी	176557
(64) सीएम जनकल्याण संबल योजना अनुग्रह सहायता	1400000	(64) आडिट फीस जमा बाबत	0
(65) हुड़को लोन	0	(65) श्रम कल्याण निधी व्यय	0
(66) दण्ड शुल्क	0	(66) रायल्टी कटोत्रा	180351
(67) न.प. राशि व्याज से आय	1303338	(67) आयकर कटोत्रा	238028.87


 मुख्य मन्त्री प्रालिका अधिकारी
 नगर परिषद, नारायणगढ
 जिला मन्दसौर (म. प्र.)



(68) संचित निधि	0	(68) वेटकर वाणिज्यकर कटोत्रा	0
(69) GST	17121	(69) श्रम कल्याण निधि कटोत्रा	237646.87
(70) GST TDS	461148.5	(70) वृत्ति कर कटोत्रा	0
(71) IT	10058	(71) शिक्षा उपकर व्यय	98600
(72) LWT	10053	(72) पर्यावरण सुधार कार्यक्रम पर व्यय	0
(73) ROYALTY	0	(73) टोरी दोह स्टाप डेम / मरम्मत कार्य	0
(74) SD	1267819	(74) मुख्मीकरण कार्याधी व्यय	115700
(75) अमानत राशि	229200	(75) हरिजन बस्ती विकास	0
(76) मढ़ पम्प से आय	18500	(76) चौदहवाँ वित्त आयोग	15000
(77) ऑगनवाड़ी भवन निर्माण	0	(77) पेयजल परिवहन / जनरेटर किराया	52500
—		(78) विधायक निधि व्यय	0
—		(79) सांसद निधि व्यय	15267
—		(80) जल वाहित शौचालय निर्माण पर व्यय	0
—		(81) रैतम बेराज पेयजल आरक्षण	159500
—		(82) जैसीबी किराया पर व्यय	856013
—		(83) पेयजल आवर्धन योजना अंतर्गत	0
—		(84) टेलीफोन ट्रंक कॉल व्यय	48750

मुख्य निधि प्रलिका अधिकारी
ग्रंथालय, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. र.)



—	(85) अभिभाषक मानदेय पर व्यय	153845
—	(86) डाक टिकिट क्रय पर व्यय	0
—	(87) जनगणना कार्यार्थ व्यय	0
—	(88) कर्मचारियों की वर्दी क्रय पर व्यय	5605
—	(89) संचित निधि	0
—	(90) मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना द्वितीय चरण	7277759.62
—	(91) हुड़कों से प्राप्त लोन हेतु राशि जमा बाबत्	0
—	(92) मंदिर जीर्णोद्धार	105726
—	(93) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्राप्त राशि	36300000
—	(94) सीएम जनकल्याण संबल योजना अन्त्येष्टि सहायता	0
—	(95) सीएम जनकल्याण संबल योजना अनुग्रह सहायता	1600000
—	(96) स्वच्छ भारत मिशन	2340831
—	(97) राष्ट्रीय पर्व	54608
—	(98) जीएसटी / जीएसटीडीएस	469118
—	(99) विनियमितीकरण कर्मचारी वेतन	1825630

५५
मुख्य नम. वालिका अधिकारी
नगर परिषद, नारायणगढ़
जिला मन्दसौर (म. प.)



Page | 27

-		(100) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	1179608
कुल योग	80175331.5	कुल योग	90395160.48

धन्यवाद

फॉर पितलियाएंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीयन क्र.016218 सी



सी. ए.अभिषेक पितलिया

पंजीयन क्र. 413249

UDIN: 20413249AAAA001814

दिनांक: 20-08-2020

स्थान: पिपलिया मंडी

